न्यायालय सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

पीठासीन अधिकारी सी0एल0शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 111/2018 राजस्व प्रार्थनापत्र
अन्तर्गत धारा :– 212 आर.टी.एक्ट

अनवान

1. राकेश पिता सुखलाल बडवा निवासी गणेशपुरातहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
2. दिनेश पिता सुखलाल बडवा निवासी गणेशपुरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
3. भंवरी बेवा सुखलाल बडवा निवासी गणेशपुरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

––प्रार्थीगण

बनाम

1. बालुराम पिता नाथुलाल बडवा निवासी गणेशपुरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
2. मु0 दुर्गा बेवा नाथुलाल बडवा निवासी गणेशपुरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
3. प्रहलाद पिता रामचन्द्र बडवा निवासी गणेशपुरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
4. गणपतलाल पिता रामचन्द्र बडवा निवासी गणेशपुरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
5. लादी पुत्री रामचन्द्र बडवा निवासी गणेशपुरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
6. सुन्दरबाई बेवा रामचन्द्र बडवा निवासी गणेशपुरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
7. शांतीलाल पिता छोगालाल बडवा निवासी गणेशपुरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
8. शंभुलाल पिता गोरधनलाल बडवा निवासी गणेशपुरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
9. कैलाश पिता गोरधनलाल बडवा निवासी गणेशपुरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
10. सत्यनारायण पिता गोरधनलाल बडवा निवासी गणेशपुरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
11. ललिता पुत्री गोरधनलाल बडवा निवासी गणेशपुरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
12. नर्बदा बेवा गोरधनलाल बडवा निवासी गणेशपुरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

––विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थित : श्री ललीत सुराणा वकील प्रार्थीगण
विपक्षीगणों की ओर से कोई हाजिर नहीं

:: आदेश ::

दिनांक 14.05.2019

प्रकरण के संक्षेतः तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के विरूद्ध उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम गणेशपुरा पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील सहाड़ा की सीमा में स्थित आराजी संख्या 162 रकबा 0.10 हे0, 163 रकबा 0.06 हे0, 164 रकबा 0.02 हे0, 165 रकबा 0.22 हे0, 166 रकबा 0.10 हे0, 167 रकबा 0.05 हे0, 168 रकबा 0.04 हे0,169 रकबा 0.10 हे0, 170 रकबा 0.07 हे0, 171 रकबा 0.13 हे0 177 रकबा 0.05 हे0, 181/744 रकबा 0.08 हे0, 183 रकबा 0.05 हे0, 184 रकबा 0.07 हे0, 185 रकबा 0.07 हे0, 185 रकबा 0.07 हे0, 186 रकबा 0.04 हे0, 187 रकबा 0.04 हे0, 188 रकबा 0.04हे0, 191 रकबा 0.02 हे0, 192 रकबा 0.04 हे0, 193 रकबा 0.13 हे0, 194 रकबा 0.16 हे0 195 रकबा 0.13 हे0, 196 रकबा 0.10 हे0,

सहायक कलक्टर

198 रकबा 0.01 हे0, 199 रकबा 0.18 हे0, 200 रकबा 0.36 हे0, 209 रकबा 0.20 हे0, 210 रकबा 0.07 हे0, 211 रकबा 0.07 हे0, 212 रकबा 0.12 हे0, 215 रकबा 0.11 हे0, 216 रकबा 0.17 हे0, 217 रकबा 0.10 हे0 कुल किता 34 कुल रकबा 3.30 हे0 स्थित है। जिसमें प्रार्थीगण का 1/5 हिस्सा निहित हैं। उक्त आराजियात राजस्व रेकार्ड में सामलाती दर्ज अभिलेख चली आ रही है। सभी पक्षकारान अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त करते चले आ रहे है। किन्तु विपक्षीगण अक्त शामलाती आराजीयात का विधिवत विभाजन कराये बिना ही उक्त आराजीयात किसी अन्य को रहन, बय , बक्षीस या अन्य तरीके से हस्तान्तरण पर आमादा है तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में जबरन ताकत के बल पर दखलन्दाजी एवं उन्हें बैदखल करने पर आमादा है। अतः मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेद्याज्ञा जारी की जावें कि वादग्रस्त आराजीयात किसी अन्य को रहन, बय, बक्षीस या अन्य तरीके से हस्तान्तरित नहीं करें तथा अजनबी व्यक्ति का प्रवेश नहीं करावें मौका एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगणों की ओर से नियत पेशी दिनांक पर कोई हाजिर नहीं आया। लिहाजा प्रकरण में विपक्षीगणों के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही का आदेश प्रसारित किया गया। प्रार्थीपक्ष की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजाद का अध्ययन एवं मनन किया गया।

मेरे सुविचार में प्रार्थीपक्ष द्वारा चाहे गये अनुतोष के निस्तारण के सम्बंध में प्रार्थीगण को निम्न तीन तथ्य स्वयं के पक्ष में प्रमाणित करने होते है :–

(1) प्रथमदृष्टया मामला :– पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज से यह तथ्य भली भांति प्रमाणित है कि प्रार्थीगण विवादित आराजीयत के सह खातेदार है तथा सामलाती भूमि में उनका 1/5 हक एवं हिस्सा नियत है। जिसके सम्बंध में प्रार्थीगण द्वारा मिट्स एवं बॉण्ड के आधार पर विभाजन चाहा गया है। प्रार्थीगण भूमि के सयुक्त खातेदार है। यदि विपक्षीगण ने सामलाती भूमि का अन्तरण कर दिया तो विवाद एवं वाद बहुलता बढ़ेगी। इस प्रकार प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

(2) सुविधा संतुलत :– प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात के सह खातेदार है। यदि प्रतिवादीगण मूल वाद के निस्तारण से पूर्व अन्य व्यक्तियों की मदद से कब्जा काश्त में दखंलदाजी करने लगे अथवा भूमि को अन्तरित एवं अन्यथा भारित करते है तो प्रार्थीगणों को निश्चित रूप से क्षति होगी। अजनबी व्यक्ति जबरन सामलाती भूमि में प्रवेश करने की चैष्ठा करेगें तथा आये दिन नित नये विवाद उत्पन्न होगें। प्रार्थीगण विवादित भूमि के सह खातेदार है तथा अपने अपने हक एवं हिससे के अनुसार मिट्स एवं बाण्ड के आधार विभाजन चाहा गया है। जिसके खण्डन में कोई तथ्य एवं जवाब रेकार्ड पर उपलब्ध नहीं है। यदि प्रार्थीगण का मौजूदा प्रार्थनापत्र स्वीकार नहीं किया गया तो उसे अनेक प्रकार की असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा। अतः सुविधा संतुलन का तथ्य भी प्रार्थीगण अपने पक्ष में प्रमाणित करने में सफल रहे है।

(3) अपूरणीय क्षति :– जैसा कि प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थनापत्र में वर्णित किया है कि विपक्षीगण उनकी सामलाती भूमि का बिना विभाजन कराये ही अन्यथा अन्तरण करने तथा प्रार्थीगण को जबरन एवं ताकत के बल पर बैदखल करने पर उतारू है। उनके कब्जे काश्त में भी अन्य अजनबी व्यक्तियों से दखंलनदाजी करा रहे है। ऐसी स्थिति में विपक्षीगण अपने मकसद में कामयाब रहे तो प्रार्थीपक्ष को अपूरणीय क्षति होने से संभावना से कतई इन्कार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार से अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीगण स्वंय के पक्ष में सिद्ध करने में सफल रहे है।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

इस प्रकार प्रार्थीगण अपने पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा हेतू वांछित तीनों की बिन्दू अपने स्वंय के पक्ष में सिद्ध करने में असफल रहे है। लिहाजा लिहाजा मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थीगण का मौजूदा प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

—: आदेश :—

अतः उपरोक्त विवेचानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विपक्षीगणों के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाता है। मूल वाद के निस्तारण तक विपक्षीगणों को पाबन्द किया जाता है कि वह मौजूदा प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 01 एक में वर्णित ग्राम गणेशपुरा पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा की सीमा में स्थित आराजी संख्या 162 रकबा 0.10 हे0, 163 रकबा 0.06 हे0, 164 रकबा 0.02 हे0, 165 रकबा 0.22 हे0, 166 रकबा 0.10 हे0, 167 रकबा 0.05 हे0, 168 रकबा 0.04 हे0,169 रकबा 0.10 हे0, 170 रकबा 0.07 हे0, 171 रकबा 0.13 हे0 177 रकबा 0.05 हे0, 181/744 रकबा 0.08 हे0, 183 रकबा 0.05 हे0, 184 रकबा 0.07 हे0, 185 रकबा 0.07 हे0, 185 रकबा 0.07 हे0, 186 रकबा 0.04 हे0, 187 रकबा 0.04 हे0, 188 रकबा 0.04हे0, 191 रकबा 0.02 हे0, 192 रकबा 0.04 हे0, 193 रकबा 0.13 हे0, 194 रकबा 0.16 हे0 195 रकबा 0.13 हे0, 196 रकबा 0.10 हे0, 198 रकबा 0.01 हे0, 199 रकबा 0.18 हे0, 200 रकबा 0.36 हे0, 209 रकबा 0.20 हे0, 210 रकबा 0.07 हे0, 211 रकबा 0.07 हे0, 212 रकबा 0.12 हे0, 215 रकबा 0.11 हे0, 216 रकबा 0.17 हे0, 217 रकबा 0.10 हे0 कुल किता 34 कुल रकबा 3.30 हे0 स्थित है। जिसमें प्रार्थीगण का 1/5 हिस्सा निहित हैं, के सम्बंध में राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखें। स्वंय अथवा किसी अन्य अजनबी व्यक्ति को उक्त भूमि में प्रवेश एवं दखलनदाजी नहीं करने हेतू भी विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। पत्रावली मूल वाद के साथ नत्थी हो।

यह आदेश मेरे निर्देशन में लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सी एल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर, जिला भीलवाड़ा